

सै बाहर होने से पत्रावली दिनांक 27/3/18 को पेश है। (3)

27/3/18 पत्रावली प्रस्तुत। पीओ के कार्रवाई का स्थानान्तरण होने से पत्रावली दिनांक 21/6/18 को पेश है। (3)



LTI  
रजिस्ट्रार  
374

*[Handwritten signature]*

4/6/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प चित्तलवाना में प्रस्तुत। प्रार्थियों के वारीसान ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से हम पत्रकारों में आपस में राजिनामा हो गया है। इस लिये हम प्रकरण को ग्यापलप में आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उम्मत प्रॉपर मूल बाइ के रूप में विद्वान फरमावें। जिस पर सुना गया। प्रार्थियों के वारीसान की पहचान सरपंच व पतवारी चित्तलवाना ने की। अतः प्रार्थियों का प्रॉपर परिलेक्ट्री खारिज किया जाता है पत्रावली फिलहाल एवं नम्बर से कम होकर खारिज कर दी।

*[Handwritten signature]*  
रजिस्ट्रार  
चित्तलवाना

पंखी देवी  
(पंखी देवी)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, चित्तलवाना  
*[Handwritten signature]*  
4-6-18  
पंचायत चित्तलवाना

*[Handwritten signature]*  
4/6/18